मूल्य : 100 रूपये

स0क्र0.....

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

नवीन मान्यता

हाईस्कूल
हायर सेकेण्डरी परीक्षा

कक्षा 9 वीं सत्र.....कक्षा 10 वीं सत्र.....
कक्षा 11वीं सत्र.....कक्षा 12 वीं सत्र.....

अशासकीय संस्थाओं के लिये

आवेदन फार्म
प्रत्येक परीक्षा हेतु पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है
online आवेदन फार्म www.cgbse.net पर उपलब्ध है

आवेदन पत्र क्र0

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर

अशासकीय संस्थाओं के लिये

नवीन मान्यता आवेदन पत्र

हाईस्कूल परीक्षा –सत्र–20– से 20–
हायर सेकेण्डरी परीक्षा –सत्र–20– से 20–

(मान्यता विनियम 1994 के विनियम 7 एव 14 के अधीन)

सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के नाम संलग्न
बैंक ड्राफ्ट क्रमांक/चालान क्रमांक————————— दिनांक—————राशि—————
बैंक का नाम——————————————————————————————

हाईस्कूल मान्यता शुल्क रू 40000/– हा0से0 मान्यता शुल्क रू 45000/– अंतिम तिथि 15 अप्रैल तक

सामान्य विवरण

1. समिति का विवरण

1. समिति का नाम तथा पूरा पता ....

....कार्यक्षेत्र......................................मुख्यालय का नाम ....

तहसील..जिला ....दूरभाष क्रमांक ....मो.न.........................

समिति का पंजीयन क्रमांक ....दिनांक...स्थान.........................

पंजीयन करने वाली संस्था का नाम...जिला..

स्थापना का उद्देश्य 1...2...3............................

(समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र, समिति का उद्देश्य की जानकारी संलग्न प्रस्तुत करें)

शाला प्रबंधक का नाम व पता :–...

....दूरभाष क्रमांक ....मो. न. ....

शाला प्रबंध समिति के शासकीय सदस्यों के नाम/पता –

अ) नाम ....कार्यालय ....

दूरभाष /मोबाईल क्र0 ....विकासखण्ड/नगर, जिला ....

ब) नाम ....कार्यालय ....

दूरभाष /मोबाईल क्र0 ....विकासखण्ड/नगर, जिला ....

शासकीय सदस्यों को मनोनीत करने के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश क्रमांक ....

.... दिनांक .... छाया प्रति संलग्न करें ।

2. संस्था का विवरण

2.1. (अ) विद्यालय का नाम..... .....

दूरभाष क्र.....मो.न.....

(ब) पता.....ग्राम/पोस्ट.....विकासखण्ड/त.ह.....

जिला .....पिन कोड़..... (छ.ग.)

शिक्षा विभाग की अनुमति/आदेश कमांक ..... जारी दिनांक .....

द्वारा कक्षा.....से .....तक, वर्ष..... से ..... तक की अनुमति प्राप्त है।

3. परीक्षा जिसके लिए मान्यता चाही गई है (हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी).....

4. अध्यापन का माध्यम – हिन्दी/अंग्रेजी.....

5. **(अ)अक्षय निधि –(प्राचार्य एवं जिला शिक्षा अधिकारी के सयुक्त नाम से रू 50,000 पचास हजार ग्रामीण क्षेत्र हेतु एवं शहरी क्षेत्र हेतु रू. 1,00,000/– एक लाख रूपये जमा करना अनिवार्य है. एवं बचत खाते में ग्रागीण क्षेत्र की संस्था हेतु रू 25,000/– एवं शहरी क्षेत्र हेतु रू 50,000/– जमा अनिवार्य है ।)**

(अ) रू0 .....सावधी जमा क0.....बैंक का नाम.....

जारी करने का दिनांक .....अवधी .....वर्ष अंतिम तिथि .....

(ब) रू0 .....सावधी जमा क0.....बैंक का नाम.....

जारी करने का दिनांक .....अवधी .....वर्ष अंतिम तिथि .....

(स) संस्था/समिति के बचत खाते का विवरण खाता क्र.....

बचत खाते में शेष राशि .....(स्टेटमेंन्ट/छायाप्रति संलग्न करें).

6. संस्था से निकटतम डाकघर ..... दूरी .....कि. मी.

7. **संस्था किस क्षेत्र में स्थित है** – अ) ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम
ब) आदिवासी/गैर आदिवासी क्षेत्र

(सही का निशान लगावें) स) गाँव/कस्बा/अराजभोगी नगर/राजभोगी नगर

8. **निकटतम दो हाईस्कूलों के नाम –**

(अ) शास. उ. मा. वि. ..... दूरी ..... कि.मी

(ब) अशासकीय उ. मा. वि. ..... दूरी ..... किमी.

9. निकटतम दो हायर सेकेण्डरी के नाम –

(अ) शास. उ. मा. वि. ..... दूरी ..... कि.मी

(ब) अशासकीय उ. मा. वि. .....दूरी ..... किमी.

10. निकटतम पुलिस थाना/चौकी का नाम .....शाला से दूरी .....कि.मी

11. संस्था का प्रकार **बालक/कन्या/को.एड.(सहशिक्षा)**

12. (अ) विद्यार्थियों की संख्या :–

विद्यालय में यदि प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक की कक्षाऐं संचालित है तो छात्र संख्या

सत्र----------पहली-------दूसरी------तीसरी--------चौथी-------पांचवीं----

छठवीं-------सातवी-----

कक्षा 8 वी..... कक्षा 9 वी ..... कक्षा 10 वी .....

कक्षा 11 वी संकायवार कला.....विज्ञान .....वाणिज्य.....कृषि.....

कक्षा 12 वी संकायवार कला.....विज्ञान .....वाणिज्य..... कृषि .....

संकायवार छात्र संख्या – कला .....विज्ञान.....वाणिज्य..... कृषि .....

(अ) आवेदन की तिथि में उपस्थित विद्यार्थी संख्या :–

कक्षा 8 वी..... .....कक्षा 9 वी ..... कक्षा 10 वी .....

कक्षा 11 वी संकायवार कला.....विज्ञान .....वाणिज्य..... कृषि .....

कक्षा 12 वी संकायवार कला.....विज्ञान .....वाणिज्य.....कृषि .....

संकायवार छात्र संख्या – कला .....विज्ञान.....वाणिज्य.....कृषि.....

13. अध्ययनरत छात्रों के नागांकन शुल्क जमा करने का विवरण –

(अ) कक्षा 9 वीं प्रवेशरत कुल छात्र संख्या –.....

(ब) मण्डल में जमा की गई कुल शुल्क ..... रू0 दिनांक .....

14 कक्षाएँ प्रारंभ होने का वर्ष –

1 प्राथमिक---------- 2 मिडिल----------

3 कक्षा नवमी ---------- 4 कक्षा दसवीं ----------.

5 कक्षा ग्यारहवी ---------- 6 कक्षा बारहवी ----------

15. पढ़ाये जाने वाले विषय :–

(अ)हाईस्कूल प्रथम भाषा –.....द्वितीय भाषा .....तृतीय भाषा .....

अनिवार्य विषय – 04.गणित 05.विज्ञान 06.सामाजिक विज्ञान 07.पर्यावरण अध्ययन

(ब)हायर सेकण्डरी – प्रथम भाषा –.....द्वितीय भाषा .....

कला संकाय –1) .....2) ..... 3).....4)..... .....

विज्ञान संकाय –1) भौतिक शास्त्र .2) रसायन शास्त्र 3).....4).....

वाणिज्य संकाय –1) व्यवहारीक अर्थशास्त्र 2) बही खाता 3) वाणिज्य के मूल तत्व 4).....

अन्य संकाय – संकाय का नाम – .....

1) .....2) ..... 3).....

4)..... 5) ..... 6).....

3. स्टाफ का विवरण

(अ) प्राचार्य का नाम .....दूरभाष.....शैक्षणिक योग्यता

व्यावसायिक योग्यता .....

(ब) संस्था में नियुक्ति दिनांक ..... अनुभव (वर्षों में) .....

(स) व्याख्याता/शिक्षाकर्मी की संख्या ..... अन्य स्टॉफ की संख्या .....

एम ए–.....एम काम.....एम एस सी.....प्रशिक्षित बी एड.....

अप्रशिक्षित.....अन्य स्टाफ.....कुल संख्या .....

स.क्र.	शिक्षक का नाम	पद नाम	नियुक्ति दिनांक	पढाये जाने वाले विषय	शैक्षणिक योग्यता	प्रशिक्षित बी एड डी एड	अनुभव	वेतन एवं हस्ताक्षर

(उपरोक्त प्रारूप में सूची संलग्न की जाना है, साथ ही प्रत्येक शिक्षक के शैक्षणिक योग्यता, प्रमाण पत्र संलग्न करे. शिक्षक विषयवार होना आवश्यक है) ।

4. भौतिक संसाधन का विवरण

16. भूमि एवं भवन से सम्बधित विवरण –

(अ) भूमि का क्षेत्रफल ..... वर्ग फीट (भूमि का खसरा नं. /प्लाट नं..... क्षेत्रफल .....)

(ब) भूमि/भवन का स्वामित्व – स्वयं का/किराये का .....

(A) यदि किराये का है, तो मकान मालिक का नाम .....

पता.....

किरायानामा..... से .....तक की अवधि का है।

(B) यदि स्वयं का है, तो समिति के नाम पर है या अन्य के नाम पर स्पष्ट लिखें

.....

पता .....

(स) भवन का क्षेत्रफल .....वर्ग फीट कुल कमरो की संख्या .....

भवन के मंजिलो की संख्या .....

(द) अध्यापन कक्षों एवं अन्य कक्षों का विवरण :–

(अ) हाईस्कूल – कक्षा 9 वी कक्ष संख्या ..... कक्षा 10 वी कक्ष संख्या .

आकार.....X.....वर्गफीट ..... आकार.....X.....वर्गफीट .....

(ब)हायर सेकेण्डरी – कक्षा 11 वी कक्ष संख्या .....कक्षा 12 वी कक्ष संख्या ..

आकार.....X.....वर्गफीट ..... आकार.....X.....वर्गफीट .....

(स)कार्यालय एवं अन्य उपयोग हेतु कुल कमरे :– .....

प्राचार्य कक्ष – 01 आकार.....X.....वर्गफीट ..

कार्यालय कक्ष – 01 आकार.....X.....वर्गफीट .....

पुस्तकालय कक्ष – 01 आकार.....X.....वर्गफीट ..

अध्यापक कक्ष – 01 आकार.....X.....वर्गफीट .....

हाईस्कूल प्रयोगशाला कक्ष –01 आकार.....X.....वर्गफीट ..

हायर सेकेण्डरी प्रयोगशाला कक्ष –

भौतिक भाास्त्र– आकार.....X.....वर्गफीट ..

रसायन भाास्त्र– आकार.....X.....वर्गफीट ..

जीव विज्ञान – आकार.....X.....वर्गफीट .

बरागदा :– आकार.....X.....वर्गफीट .....

कुल कमरो की संख्या –. .....

यदि बारान्डा है तो आकार .....

यदि आंगन है तो आकार . .....

5. अन्य संसाधन का विवरण

17. प्रसाधन –

स्टाफ के लिए .....छात्रों के लिए .....छात्राओं के लिए .....

टीप – प्रत्येक 100 छात्र/छात्राओं पर एक–एक अतिरिक्त टॉयलेट अनिवार्य है।

18. (अ) फर्नीचर –

छात्रो हेतु डेस्क संख्या .....बेंच संख्या .....

कार्यालय उपयोग हेतु टेबल संख्या .....कुर्सी संख्या .....अलमारियो की संख्या .

(ब) विद्युत व्यवस्था :–

(स) पेयजल व्यवस्था :–

स्वच्छ पेयजल व्यवस्था कुँआ/नलकुप/नल/वाटर कूलर के माध्यम से है/नही

(द) स्वास्थ्य परीक्षण :–

क्या प्रत्येक विद्यार्थी का सत्र में न्यूनतम एक बार स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है/नही

स्वास्थ्य परीक्षण का रजिस्टर्ड चिकित्सक का प्रमाण प्रस्तुत करें।

(इ) पुस्तके :–

पाठ्योत्तर व रैफरेंस बुक का मापदण्ड कम से कम प्रति छात्र तीन पुस्तको के मान से।

कुल छात्र .....उपलब्ध पुस्तको की संख्या .....

19. खेल का मैदान :–

खेल का मैदान स्वयं का है हॉ/नही

यदि नहीं, तो मैदान किसका है, विवरण दें .....

खेल कूद में उपयोग में आने वाले मैदान का क्षेत्रफल .....

गत वर्ष के खेल कार्यक्रम :–.....

संस्था द्वारा किन खेलों की व्यवस्था –.....

6. वित्तीय संसाधन का विवरण

21. आय व्यय का विवरण :–

वर्ष	फीस	अन्य स्त्रोत	कुल आय	कुल व्यय
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

स.क्र.	वित्तीय स्थिति	विवरण	
01	विद्यालय का बैंक खाता किस बैंक में है।		
02	बैंक खाता क्रमांक		
03	बैंक का संचालनकर्ता का नाम		
04	गत तीन वर्ष का पूजीगत व्यय		
05	चालू सत्र में निर्धारित शुल्क		
06	कक्षा 09 वी .....कक्षा 10 वी ..... कक्षा 11 वीं .....कक्षा 12 वी		
07	आय के अन्य स्त्रोत		

घोषणा पत्र

मै————————————————पिता श्री————————————————

संस्था————————————————————————————————

के प्राचार्य पद पर पदस्थ हूँ और मैने नवीन मान्यता के लिये दी गई जानकारी का अध्ययन किया है और मै घोषणा करता हूँ कि –

1 उपर दी गई जानकारी पूर्णतया सत्य है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है न ही किसी बात को बढ़ाकर बताया गया है ।

2 संस्था को प्राधिकृत समिति संस्था द्वारा मान्यता संबंधी सभी नियमों का अध्ययन कर लिया है लिया है तथा वह एतद् द्वारा इस सभी शर्तो को मान्य करते है ।

3 संस्था द्वारा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा समय–समय पर मांगे गये सभी पत्र भेजने की व्यवस्था की जावेगी तथा समय–समय पर दिये गये सभी निर्देश स्वीकार्य होगें ।

दिनांक———————

हस्ताक्षर————————

सील

संलग्न प्रपत्र की चेक लिस्ट

	संलग्न है / नहीं
01. समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र / कार्यकारिणी समिति की प्रमाणित सूची	है / नहीं
02. संस्था / विद्यालय के नियामावली की प्रति	है / नहीं
03. शासकीय सदस्यो की जानकारी आदेश की प्रति	है / नहीं
04. विभागीय अनुमति की प्रति	है / नहीं
05. अक्षय निधि एवं बचत खाते का विवरण छाया प्रति	है / नहीं
06. नामंकन शुल्क जमा करने की फोटो कापी सूची संलग्न	है / नहीं
07. स्टाफ सूची निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्रों की छाया प्रति सहित	है / नहीं
08. भूमि का खसरा / बी 1 की प्रति / रजिस्ट्री की प्रति	है / नहीं
09. किरायानामा एवं मकान मालिक बी 1 खसरा की प्रति	है / नहीं
10. भवन का प्रमाणित नक्शा क्षेत्रफल की जानकारी सहित	है / नहीं
11. फर्नीचर की संख्या डेस्क बेंच की संख्या की जानकारी	है / नहीं
12. पुस्तको की सूची	है / नहीं
13. प्रयोगशाला समाग्री की सूची	है / नहीं
14. खेल मैदान की जानकारी खेल समाग्री की सूची	है / नहीं
15. आडिट रिपोर्ट 03 वर्ष की	है / नहीं
16. विद्यालय के बाहय दृश्य स्थिति, अध्यायापन कक्ष, प्रयोगशाला पुस्तकालय,प्रसाधन, खेल मैदान का फोटो ग्राफस	है / नहीं

संलग्नः– उपरोक्तानुसार परिशिष्ट कुल———————— जो संलग्न किया है उस पर सही का निशान लगायें ।

3 अतिरिक्त विलम्ब शुल्क रू 10000/– – 31 जुलाई 2017 के साथ

11 उपरोक्त निर्धारित तिथियों के बाद आवेदन ग्राह्य नहीं किया जावेगा । यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे आगामी सत्र के लिये ही मान्य किया जा सकेगा ।

12 उपरोक्तानुसार पूर्तियां कर नवीन मान्यता आवेदन पत्र मण्डल में भेजने का पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के प्राचार्य का है। आवेदन पत्र निर्देशानुसार प्राप्त न होने पर यदि आवेदन पत्र निरस्त किये जाते है तो उसके लिये संबंधित संस्था की जिम्मेदारी होगी ।

13 मान्यता शुल्क का विवरण :–

मान्यता शुल्क दो सत्र हेतु	हाईस्कूल परीक्षा हेतु	रू 6000/–
	हायर सेकेण्डरी परीक्षा हेतु	रू 8000/–
पंजीयन शुल्क	हाईस्कूल	रू 24000/–
	हायर सेकेण्डरी	रू 27000/–
निरीक्षण शुल्क		रू 10000/–

साधारण शुल्क के साथ नवीन मान्यता आवेदन की कुल राशि

हाइस्कूल हेतु कुल साधारण शुल्क 15 अप्रैल तक	रू 40000/–
हायर सेकेण्डरी हेतु कुल साधारण शुल्क 15 अप्रैल तक	रू 45000/

विलम्ब शुल्क के साथ नवीन मान्यता आवेदन की कुल राशि

हाइस्कूल हेतु विलम्ब शुल्क 5000/– 30 जून तक	रू 45000/–
हा0 सेके0 हेतु विलम्ब शुल्क 5000/– 30 जून तक	रू 50000/
हाइस्कूल हेतु विलम्ब शुल्क 10000/– 31 जुलाई तक	रू 50000/–
हा0सेके0 हेतु विलम्ब शुल्क 10000/– 31 जुलाई तक	रू 55000/

सामान्य निर्देश

01 नवीन मान्यता आवेदन पत्र दो प्रतियों में संलग्न है । प्रथम प्रति भरकर मण्डल को प्रस्तुत करना है । द्वितीय प्रति संस्था के रिकार्ड हेतु है ।

02 आवेदन भरने के पूर्व निर्देशों को बहुत ध्यान से पढ़ लें । आवेदन पत्र पर चाही गई प्रविष्टियां सुवाच्य लिपि में भरी जावें ।

03 आवेदन पत्र में कॉट–छॉट वर्जित है। नवीन मान्यता के फार्म में कॉट–छॉट होने पर आवेदन अमान्य किया जा सकता है ।

04 नवीन मान्यता आवेदन पत्र के सभी बिन्दूओं की जानकारी देना अनिवार्य है । अधूरी जानकारी प्रस्तुत करने पर मान्यता आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा ।

05 नवीन मान्यता आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात निर्धारित समय–सीमा में प्रस्तुत किया जावें ।

06 नवीन मान्यता आवेदन पत्र में दिये गये सभी परिशिष्ट क्रमवार तथा प्रमाणित होना चाहिये ।

07 मण्डल के मान्यता विनियम 1994 एवं समय–समय पर किये गये संशोधनों के अनुरूप वांछित पूर्तियां करना अत्यंत आवश्यक है । यदि आवेदन पत्र पूरी जानकारी नहीं दी गई अथवा निर्धारित शुल्क/विलम्ब शुल्क जमा नहीं कराया गया तो मान्यता विनियम के विनियम नौ के तहत आवेदन पत्र बिना कारण बताए अस्वीकार कर दिया जावेगा ।

08 आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि कक्षा 9 वीं प्रारंभ करने के 6 माह पूर्व (1 जनवरी तक) आवेदन देना उचित होगा ताकि 9 वीं कक्षा प्रारंभ करने से पहले आवेदन पत्र पर निर्णय लिया जा सके ।

09 सत्र 2017–18 में कक्षा 9 वीं व सत्र 2018–19 हेतु 10 वी अथवा 2017–18 में कक्षा 11वीं व सत्र 2018–19 में 12 वीं हेतु नवीन मान्यता आवेदन पत्र मण्डल में जमा करने हेतु निर्धारित तिथियॉ :–

1	साधारण शुल्क के साथ तिथि	– 15 अप्रैल 2017
2	विलम्ब शुल्क रू 5000/– के साथ अंतिम तिथि	– 30 जून 2017

मण्डल द्वारा निर्धारित 10 वर्ष की मान्यता शुल्क की राशि एक मुश्त जमा करने पर स्थायी मान्यता निम्नानुसार प्रावधान के अन्तर्गत दी जा सकेगी ।

1. लगातार दो वर्ष मण्डल की मान्यता प्राप्त संस्था ही स्थायी मान्यता के लिये आवेदन कर सकेगी ।

2. मान्यता संबंधी अर्हताऐं पूर्ण नहीं करने पर मण्डल को ऐसी संस्थाओं की मान्यता समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा संस्था द्वारा पूर्व में जमा मान्यता शुल्क की राशि जप्त कर ली जावेगी तथा ऐसी संस्थाओं को नवीन मान्यता के लिये पुनः शुल्क जमा करना होगी ।

(पांच) यदि कोई शैक्षणिक संस्था निर्धारित तिथि तक अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत नही कर सकती तो उसे मान्यता संबंधी निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त विलम्ब शुल्क देते हुए 30 जून तक आवेदन पत्र देने की अनुमति होगी ।

(छः) 30 जून के पश्चात प्राप्त मान्यता आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा । परन्तु विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष 31 जुलाई तक का समय दे सकेगें ।

(सात) मान्यता संबंधी आवेदन पत्र मण्डल द्वारा निर्धारित प्रारूप में होगा और उसमें निर्धारित प्रपत्र संलग्न करना होगा । विशेष रूप से निम्न बातों के बारे में जानकारी देना होगा :–

1 संस्था की सामान्य सभा तथा/अथवा प्रबंध मण्डल के गठन की रूपरेखा ।

2 प्रबंधक तथा सचिव का नाम ।

3 शैक्षणिक संस्था के स्थाफ की योग्यता तथा उनके लिये निर्धारित वेतन तथा वेतनमान ।

4 परीक्षा या परीक्षायें जिनके लिये मान्यता चाही गई है

5 संस्था द्वारा पढ़ाये जाने वाले विषय

6 माध्यम जिसमें शिक्षा प्रदाय की जायेगी ।

7 कक्षाओं के उपलब्ध स्थान ।

8 छात्रों के स्वास्थ्य, खेलकूद तथा अनुशासन के बारे में किये गये प्रावधान ।

9 छात्रों तथा अध्यापकों के लिये पुस्तकालय हेतु किए गए प्रबंध तथा अन्य उपकरणों की सुविधा ।

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग

क्र.एफ–50–5/94 सी–3/20 भोपाल दिनांक 25–02–94

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर, द्वारा अनुकुलित

" मान्यता विनियम 1994"

माध्यमिक शिक्षा मण्डल अधिनियम 1965 (1965 का 23) की धारा 28 की उपधारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माध्यमिक शिक्षा मण्डल छत्तीसगढ़ के मान्यता संबंधी विनियम एतद् द्वारा सभी की जानकारी के लिये जारी किये जाते है :–

(एक) इसे माध्यमिक शिक्षा मण्डल (मान्यता) विनियम 1994 कहा जा सकेगा ।

(दो) जब तक अन्यथा प्रयोजन न हो .....

1 अधिनियम से तात्पर्य है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965

2 मण्डल से तात्पर्य है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर जो अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत स्थापित किया गया है ।

3 संभागीय प्रबंध समिति से तात्पर्य है, अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत गठित संभागीय प्रबंध समिति ।

4 अध्यक्ष से तात्पर्य है, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, जो धारा 6 के अन्तर्गत नियुक्ति किया गया हो ।

5 सचिव से तात्पर्य है, सचिव छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल

(तीन) कोई भी शैक्षणिक संस्था जो मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त नही है, मण्डल द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में परीक्षार्थी नहीं भेज पायेगी ।

(चार) जो शैक्षणिक संस्था मण्डल द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के लिये मान्यता पाने की इच्छा रखती है, वह मण्डल की संबंधित परीक्षा जिसमें संस्था आपने छात्र भेजना चाहती है की मान्यता के लिये सचिव अथवा सचिव द्वारा अधिकृत अधिकारी को दो वर्ष पूर्व 15 अप्रैल तक निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगी ।

परन्तु यह भी यदि मण्डल द्वारा किसी संस्था का संस्था इतिहास देखते हुए आवेदन पत्र एवं शुल्क प्राप्त होने पर अधिकार होगा कि वह एक साथ 10 वर्षो से अनाधिक अवधि के लिये मान्यता प्रदाय कर सके ।

उदाहरण : यदि संस्था मार्च 1997 में आयोजित परीक्षा के लिये छात्र भेजना चाहती है तो आवेदन पत्र 15 अप्रैल 1995 तक भेजना होगें ।

10 शैक्षणिक संस्था की वित्तीय स्थिति की जानकारी । गतवर्ष की वित्तीय स्थिति बताने वाले प्रमाण आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा ।

11 छात्रों से लिया जाने वाला शुल्क तथा अन्य राशियाँ ।

12 छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति तथा अन्य वित्तीय रियायत ।

13 प्रत्येक कक्षा तथा सेक्शन में छात्रों की संख्या ।

14 भवन,प्रयोगशाला, फर्नीचर तथा खेलकूद व्यवस्था संबंधी जानकारी ।

(आठ) यदि शैक्षणिक संस्था पूर्व में मान्यता प्राप्त है तथा एक या एक से अधिक विषयों में मान्यता चाहती है तो उसे प्रारूप दो में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा निर्धारित शुल्क देना होगा ।

(नौं) यदि आवेदन पत्र में पूरी जानकारी नहीं दी गई है अथवा निर्धारित शुल्क /विलम्ब शुल्क जमा नहीं कराया गया है तो आवेदन पत्र बिना कारण बताऐं अस्वीकार कर दिया जावेगा ।

(दस) आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सचिव द्वारा संबधित जिलाध्यक्ष, संयुक्त संचालक (शिक्षा)/जिला शिक्षा अधिकारी एवं अन्य स्त्रोतों से जानकारी प्राप्त की जायेगी और उनके आधार पर आवेदन पत्र पर निर्णय लिया जायेगा ।

(ग्यारह) मण्डल अपने अधिकारी या अपने द्वारा नामित किसी अधिकारी या व्यक्ति से संस्था का निरीक्षण कराने के लिये स्वतंत्र रहेगा और संस्था का यह दायित्व होगा कि ऐसे अधिकारी अथवा नियुक्त व्यक्ति को पूरा सहयोग प्रदान करें और चाही गई जानकारी उपलब्ध करायें ।

(बारह) यदि मण्डल, कोई अन्य जानकारी चाहे तो शैक्षणिक संस्था को इसे उपलब्ध कराना होगा ।

(तेरह) मण्डल द्वारा सम्पूर्ण जानकारी पर विचार करने के पश्चात संस्था का आवेदन पत्र–

1 मान्य किया जा सकेगा ।

2 अमान्य किया जा सकेगा ।

3 सर्शत मान्य किया जा सकेगा । इन शर्तो को पूरा करने की समय सीमा अवधि का बंधन किया जा सकेगा । संस्था के लिये इन अवधि में इन शर्तो को पूरा करना अनिवार्य होगा अन्यथा मान्यता स्वमेव समाप्त हो जावेगी ।

(चौदह) शैक्षणिक संस्था को मान्यता निम्नलिखित शर्तो पर दी जायेगी –

1 मण्डल के किसी अधिकारी अथवा मण्डल द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा संस्था का निरीक्षण किया जा सकेगा ।

2 यदि किसी माध्यमिक शिक्षा विद्यालय अथवा वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा विद्यालय में प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था है तो वह शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त होगी ।

3 मण्डल द्वारा चाही गई सभी जानकारी एवं उनके द्वारा निर्धारित सभी प्रपत्र मण्डल को नियत तिथि तक भिजवाना होगा ।

4 संस्था किसी अन्य मण्डल, विश्वविद्यालय या परीक्षण संस्था की किसी भी समतुल्य परीक्षा के लिये छात्रों को प्रशिक्षित नहीं करेगी और न ही ऐसे छात्रों को ऐसी परीक्षा में भिजवाने का प्रबंध या प्रयास करेगी ।

5 संस्था को छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण वर्ष में कम से कम एक बार करना पड़ेगा और उनकी शारीरिक शिक्षा के लिये प्रबंध करना होगा ।

6 शैक्षणिक संस्था द्वारा विद्यालय में साफ सफाई रखी जायेगी ।

7 संस्था द्वारा किसी भी कक्षा अथवा कक्षा के भाग में 45 से अधिक छात्रों की भर्ती नहीं की जायेगी ।

8 संस्था का भवन मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिये उपलब्ध रहेगा और उसमें इसके लिये स्टॉफ, फर्नीचर तथा उपकरण इत्यादि भी मण्डल को उपलब्ध होगें। मण्डल इसका उपयोग परीक्षा आयोजित करने या किसी अन्य कार्य के लिये कर सकेगा ।

9 शैक्षणिक संस्था का कोई भी अध्यापक किसी राजनैतिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा ।

10 शैक्षणिक संस्था द्वारा अनिवार्यरूप से धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी ।

11 संस्था की प्रबंध समिति में अधिक से अधिक 10 सदस्य होगें जिनमें संस्था का प्राचार्य शामिल होगा और दो सदस्य मण्डल अथवा संयुक्त संचालक (शिक्षा) द्वारा नियुक्त होगें । यदि इस प्रकार का प्रावधान संस्था के नियमों में न हो तो उसक नियमों में परिवर्तन करना होगा ।

12 शैक्षणिक संस्था के भवन में समुचित स्थान उपलब्ध होगा और पुस्तकालय प्रयोशाला इत्यादि के लिये सुविधा उपलब्ध होगी ।

13 शैक्षणिक संस्था द्वारा कमरे के भीतर अथवा बाहर खेलों के आयोजन के लिये स्थान उपलब्ध कराया जायेगा ।

14 शैक्षणिक संस्था द्वारा विभिन्न विषयों के पढ़ाने के लिये उपयुक्त फर्नीचर एवं उपकरण मण्डल के संतोष के लायक उपलब्ध कराना होगा ।

15 शैक्षणिक संस्था के बजट में संस्था को पुस्तकालय, प्रयोगशाला इत्यादि के लिये समुचित राशि उपलब्ध कराना होगी ।

16 शैक्षणिक संस्था द्वारा शासकीय संस्था के समान योग्यता प्राप्त अध्यापन स्टाफ तथा अन्य स्टॉफ रखा जायेगा ।

17 शैक्षणिक संस्था द्वारा अस्थायी मान्यता चाहने की दशा में 10,000 रूपये तथा स्थायी मान्यता चाहने की दशा में 25,000 (पच्चीस हजार) की एक अक्षय निधि बनाने का प्रावधान करना होगा अक्षय निधि संस्था के प्राचार्य तथा संयुक्त संचालक/उपसंचालक शिक्षण के संयुक्त खाते में जमा रहेगा ।

18 संस्था द्वारा विद्यालय में भर्ती प्रत्येक छात्र का मण्डल के साथ नामांकन कराना होगा ।

19 संस्था द्वारा 31 जुलाई के पश्चात किसी भी छात्र को मण्डल की पुर्वानुमति के बिना प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा । परन्तु जो विद्यालय एक ही संस्था द्वारा विभिन्न नगरों में संचालित होगें उनमें से किसी एक विद्यालय से अन्य विद्यालय में स्थानांतरण हो सकेगा ।

20 संस्था द्वारा किसी भी छात्र को दसवी अथवा बारहवीं में सीधा प्रवेश नहीं दिया जायेगा । परन्तु यदि कोई स्थान इन कक्षाओं में सत्र के दौरान रिक्त होते है तो अप्रैल में मण्डल को इसकी सूचना देना होगा और इस संख्या तक प्रवेश दिया जा सकेगा ।

21 माध्यमिक शिक्षा मण्डल में मान्यता प्राप्त करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग से विभागीय अनुमति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(पन्द्रह) मण्डल द्वारा जिन शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान की जाती है, उसकी एक सूची तैयार की जाकर यथा संभव प्रत्येक वर्ष के जुलाई माह में प्रकाशित करना होगी । उसमें उन परीक्षाओं का उल्लेख होगा जिनके लिये मान्यता दी गई है और मान्यता की अवधि के साथ ही मान्यता प्राप्त विषयों का भी उल्लेख किया जायेगा ।

(सोलह) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था को मण्डल द्वारा प्रमाण पत्र दिया जायेगा । इस प्रमाण पत्र को प्राचार्य के कक्ष अथवा कार्यालय में स्पष्ट दृष्टिगोचर स्थान प्रदर्शित करना होगा ।

(सत्रह) मण्डल द्वारा किसी भी शैक्षणिक संस्था का निरीक्षण करने का अधिकार, किसी जिला शिक्षा अधिकारी अथवा व्यक्ति अथवा ऐसे व्यक्तियों की समिति को दिया जा सकेगा और ऐसा आयोजन 3 वर्ष में कम से कम एक बार करना होगा । यह समिति अथवा अधिकारी मण्डल को अपना प्रतिवेदन उन बिन्दुओं पर प्रस्तुत करेगें जो कि निर्धारित किये गये हों या जिनके लिये विशेष रूप से निर्देशित किया गया हो। शिक्षा विभाग के अधिकारीयों द्वारा मण्डल को शैक्षणिक संस्था में किसी भी कमी के लिये प्रतिवेदन भेजने का अधिकार होगा ।

(अठारह) शैक्षणिक संस्था के प्राचार्य द्वारा सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल को संस्था के प्रबंध मण्डल या संस्था के स्टाफ की संख्या अथवा योग्यता में किसी भी परिवर्तन के बारे में सूचित करना होगा ।

(उन्नीस) यदि मण्डल को इस बात का समाधान हो जाता है कि कोई शैक्षणिक संस्था जिसे मण्डल द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, उन सभी शर्तों को पूरा करने में असमर्थ हो गई है अथवा अन्य कारण से मान्यता दी जाना नहीं है तो मण्डल को यह अधिकारी होगा कि उसकी मान्यता समाप्त कर दी जाये । परन्तु मान्यता रद्द करने से पूर्व कारण बताओ नोटिस जारी करना होगा । यदि कोई लिखित प्रतिवेदन संस्था द्वारा दिया जाता है तो इस पर विचार करना होगा, परन्तु यह भी कि इस प्रकार की मान्यता रद्द करते समय संस्था के छात्रा सें को एक माह की अवधि दी जाये ताकि वे राज्य की किसी अन्य मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में प्रवेश ले सकें ।

(बीस) मण्डल द्वारा मान्यता समिति का गठन किया जाएगा जिसमे निम्नानुसार सदस्य रहेगें –

1 अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल

2 सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल

3 आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा शिक्षा संचालनालय का नामित एक अधिकारी

4 मण्डल के शासी परिषद द्वारा नियुक्त 3 सदस्य ।

अध्यक्ष, मान्यता समिति के अध्यक्ष एवं सचिव, मान्यता समिति के सचिव रहेगें ।

मान्यता समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह संस्थाओं तथा विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने संबंधी नीति निर्धारित सिद्धांत समय–समय पर तय करें ।

(इक्कीस) मान्यता समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी । यथा सम्भव यह बैठक मार्च अप्रैल माह में आयोजित की जायेगी ।

(बाईस) यदि इन नियमों के बारे में कोई विवाद होता है या अन्य कोई स्पष्टीकरण आवश्यक है तो अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा ।

(तेइस) प्रत्येक वर्ष मार्च में मान्यता शुल्क तथा विलम्ब शुल्क मण्डल द्वारा तय किए जायेगें ।

(चौबीस) उपरोक्त मान्यता संबंधी विनियम प्रकाशित होने पर पूर्व में 17 अप्रैल 1967 को प्रचलित मान्यता संबंधी विनियम जिनका उल्लेख विनियम क्रमांक 50 से 69 में है , विलोपित माने जायेगें ।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा, मण्डल रायपुर

क्रमांक/7229/मान्यता/2012-13 रायपुर, दिनांक 27/12/12

मान्यता हेतु निर्देश

माध्यमिक शिक्षा मण्डल विनियम 1994 के विनियम सात एवं चौदह के अन्तर्गत प्रावधानित व्यवस्था के तहत निम्नासार मापदण्डो के अनुरूप अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के सामान्य तौर पर मूलभूत सुविधाओं का होना अत्यंत आवश्यक है । इस हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :-

1 भूमि-

(1) संस्था की भूमि एवं भवन स्वयं के स्वामित्व के होना चाहिये । यदि स्वामित्व का नहीं है तो किराये भूमि/भवन होने पर किरायानामा प्रस्तुत करना होगा । किरायानामा न्यूनतम 3 वर्ष से कम का न हो, भूमिस्वामी के भूमि स्वामित्व का बी -1 खसरा एवं शाला के भूमि सह भवन का नक्शा नगर निगम/नगर पालिका निगम/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत से प्रमाणित अनिवार्य है । नक्शें में भूमि भवन , कक्ष का क्षेत्रफल पृथक-पृथक दर्शाया जाना है ।

(2) यदि नई संस्था प्रारंभ करते समय संस्था की स्वयं की स्वामित्व की भूमि नहीं है तो भूमि क्रय करने एवं भवन निर्माण की कार्ययोजना प्रस्तुत करना होगा ।

(3) संस्था को प्रस्तुत कार्य योजना का तीन वर्ष में क्रियान्वयन करना आवश्यक होगा ।

(4) संस्था के पास अपने स्वामित्व की कम से कम दो एकड़ भूमि होना चाहिए ।

(5) यदि संस्था में कुल छात्र 1500 से अधिक है या प्रस्तावित है तो कम से कम 3 एकड़ भूमि होना आवश्यक है ।

(6) यदि शाला राजभोगी शहर में घनी बस्ती में है तो शाला परिसर कम से कम एक एकड़ में हो और छात्र-छात्राओं के खेलकूद की गतिविधियों के लिये निकटतम दूरी पर कोई खेलकूद का मैदान होना चाहिये ।

(7) अस्थाई व्यवस्था में भी कम से कम 1/2 एकड़ खूली भूमि खेल के लिये अनिवार्य रूप से हो ।

2 भवन -

(1) शाला भवन का निर्मित क्षेत्रफल हाईस्कूल के लिये न्यूनतम 2000 वर्गफीट व हायर सेकेण्डरी के लिये 2600 वर्गफीट होना अनिवार्य है । यदि संस्था प्राथमिक से लेकर हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी की कक्षायें चला रही हो तो न्यूनतम निर्मित क्षेत्रफल 4000 वर्गफीट होना चाहिये ।

(2) शाला भवन में निम्नानुसार न्यूनतम संख्या में कक्षों का होना अनिवार्य है :-

(अ) प्राचार्य, कार्यालय, स्टॉफ, पुस्तकालय व प्रयोगशाला (हाईस्कूल) के लिये एक-एक कक्ष अर्थात-6 कक्ष

(ब) केवल हाईस्कूल के लिये कक्षाऐं 2 कक्ष

कुल 7 कक्ष न्यूनतम

नोट :1 यदि संस्था को हायर सेकेण्डरी के लिये मान्यता लेना है तो विज्ञान संकाय के लिये तीन कक्ष प्रायोगशाला हेतु अतिरिक्त निर्माण कराना आवश्यक होगा ।

1 जितने संकाय एवं सेक्शन होगें, प्रत्येक सेक्शन के लिये एक-एक कक्ष निर्माण कराना होगा ।

2 45 छात्रों तक के लिये एक कक्ष, उससे अधिक संख्या होने पर प्रत्येक 45 छात्रों के लिये एक-एक कक्ष का अतिरिक्त निर्माण कराना आवश्यक होगा ।

3 एक सेक्शन में अधिक से अधिक 45 छात्र और कम से कम 15 छात्र होना आवश्यक है ।

4 छात्र-छात्राओं की पाठ्येत्तर गतिविधियों के लिये भवन में एक बरामदा या हाल होना आवश्यक है जहॉ संस्था के कार्यक्रमों को आयोजित किया जा सके ।

5 बड़ी एवं शहरी क्षेत्र की संस्थाओं में आध्यापन कक्षों का निर्माण इस प्रकार हो कि प्रत्येक छात्र को 8 वर्गफीट स्थान मिल सके । कस्बाई क्षेत्र में 6 वर्गफीट एवं ग्रामीण क्षेत्र में 4 वर्गफीट स्थान मिलना सुनिश्चित हों ।

6 यदि संस्था प्राथमिक अथवा मिडिल स्कूल चलाती है तो उन छात्रों की संख्या के अनुपात में अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था होनी चाहिये या दो पाली में चलाने पर उतने अनुपात में कक्षाऐं होनी चाहिये ।

7 भूमि एवं भवन का नक्शा प्राधिकृत व्यक्ति/ संस्था (नगर निगम/ग्राम पंचायत/नगर पालिका)द्वारा प्रमाणित होना चाहिये ।

3 पेयजल व्यवस्था –

संस्था को शुद्ध एवं शीतल पेयजल की व्यवस्था कराना अनिवार्य है । शहरी क्षेत्र में खासतौर से नगर निगम क्षेत्र में, फिल्टर किया हुआ अथवा शीतल पेयजल की व्यवस्था हो । ग्रामीण क्षेत्र में ढका हुआ शुद्ध पेयजल या नलकूप भी मान्य किया जा सकता है ।

4 पुस्तकालय–

1 संस्था के पुस्तकालय में, पाठ्यपुस्तकों को छोड़कर शहरी क्षेत्र में कम से कम 3 पुस्तकें प्रति छात्र और ग्रामीण क्षेत्र में एक पुस्तक प्रति छात्र हो । पुस्तकालय के रख रखाव के लिये लायब्रेरी अटेन्डेंट हो तथा छात्र–छात्राओं को लायब्रेरी कार्ड पर पुस्तकें ईश्यु करने की सुविधा उपलब्ध हो । ग्रामीण क्षेत्र में यह कार्य किसी शिक्षक को भी सौंपा जा सकता है ।

2 छात्र–छात्रायें, लायब्रेरी के कक्ष में बैठकर पत्र–पत्रिकायें पढ़ सकें, इस हेतु स्थान एवं फर्नीचर की पर्याप्त व्यवस्था हो ।

5 प्रयोगशाला ::

1 हाईस्कूल तक के छात्रों के लिये प्रयोगशाला का एक कक्ष होना आवश्यक है, जिसमें छात्रों के अध्यापन कार्य में अध्ययन हेतु शामिल किये गये सभी उपकरण उपलब्ध हो जिनका अवलोकन कराकर अध्यापन कार्य कराया जा सके । इसमें पर्यावरण से संबंधित, मानव आकृति से संबंधित सामग्री विशेष रूप से रखी जावे ।

2 हायर सेकेण्डरी में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान की पृथक–पृथक प्रयोगशाला होना आवश्यक है । प्रयोगशाला में इतना स्थान होना चाहिये जहां मेज के सामने खड़े होकर प्रयोग संपादित कर सके ।

अ भौतिक शास्त्र में फिजीकल बैलेंस, प्रिज्म, गुटका, चुम्बकीय सुई, मीटर ब्रिज पोस्ट आफिस बाक्स, उत्तल, अवतल लैंस/मिरर, चुम्बक, पेंडुलम, वर्नियर कैलीपर्स, स्फेरोमीटर, गैल्वनोमीटर, स्क्रुगेज, एमीटर, ओम्स लॉ, जैसे उपकरणों की समुचित व्यवस्था हो ।

ब रसायन शास्त्र में एसिड रेडिकल्स एवं बेसिक रेडीकल्स ज्ञात करने के लिये परीक्षण हेतु आवश्यक सामग्री हो । टाईटेशन करने के लिये पर्याप्त मात्रा में ब्युरेट, पिपेट, कोनीकल फलाक्स, ट्यूब्स, ब्यूरेट स्टेण्ड, फनल्स और बीकर्स की व्यवस्था हो ।

स कार्डेटा एवं नान कार्डेटा समूह के प्रत्येक फेमिली के स्पेसीमेन्स हो, जिनका छात्रों को अवलोकन कराया जा सके तथा डाईकाट एवं मोनोकाट पौधों के तनों के स्लाईड देखने हेतु माइक्रोस्कोप की व्यवस्था हो ।

रसायन विज्ञान की लेब में बर्नर की संख्या शहरी एक प्रति दो छात्र पर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रति 4 छात्रों पर एक बर्नर की व्यवस्था कना अनिवार्य है ।

3 हाईस्कूल स्तर तक की प्रयोगशाला के लिये प्रयोग संपादित करने हेतु एक लेब असिस्टेंट की व्यवस्था हो परंतु हायर सेकेण्डरी प्रयोगशाला के लिये पृथक–पृथक लेब असिस्टेंट की समुचित व्यवस्था हो।

6 खेल का मैदान

संस्थाओं में कम से कम दो खेलों के ग्राउण्ड की व्यवस्था करना होगी, जैसे–हॉकी, फुटबाल, बालिबॉल, बैडमिंटन इत्यादि । शहरी क्षेत्रों में संस्थाओं को इन्डोर गेम्स के लिये भी व्यवस्था करना अनिवार्य है ।

7 प्रसाधन :

संस्था के छात्र–छात्राओं के लिये पृथक–पृथक टायलेट की व्यवस्था की जानी चाहिये । यथा संभव स्टाफ के लिये पृथक टायलेट की व्यवस्था हो । जिस संस्था में 100 से अधिक छात्र–छात्रायें हैं वहाँ प्रति 100 छात्र पर एक–एक अतिरिक्त टायलेट की व्यवस्था की जानी चाहिये । इसकी साफ–सफाई की समुचित व्यवस्था भी करना आवश्यक होगा ।

8 शैक्षणिक स्टाफ :

1 हाईस्कूल में प्राचार्य –01 तथा 06 व्याख्याता/शिक्षाकर्मी वर्ग –01, सहायक शिक्षक विज्ञान –01, लेखापाल/सहायक ग्रेड–02–01 सहायक ग्रेड –तीन –01, चौकीदार एवं स्वीपर –04 कुल 14 का स्टाप होना आवश्यक है । पर्याप्त संख्या में निर्धारित योग्यता प्राप्त अध्यापन स्टाफ एंव अन्य स्टाफ नियुक्ति अनिवार्य है । व्याख्याताओं एवं शिक्षको की योग्यता प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रतियां, स्टाफ सूची सह संलग्न की जाना है।

2. हाईस्कूल+हायर सेकेण्डरी में प्राचार्य 01, तथा 11 व्याख्यता/शिक्षा कर्मी वर्ग –01 एक ही संकाय के छात्रो को पढाने के लिये कम से कम प्रत्येक विषय पर एक व्याख्याता होना चाहिये । एक संकाय के बाद अन्य संकाय के प्रारंभ होने पर प्रारंभ होने पर प्रति संकाय 03 संबंधित विषय के व्याख्याता की नियुक्ति नही की गई है। व्यायाम शिक्षक/शिक्षा कर्मी वर्ग –02 –01 सहायक ग्रेड तीन –01 चौकीदार एवं स्वीपर –06 का स्टाफ होना आवश्यक है जहां 04 से अधिक सेक्शन है वहां संबंधित विषय के दो –दो व्याख्याताओ की नियुक्ति होना अनिवार्य है, व्याख्याताओं एवं शिक्षको की योग्यता प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रतियां स्टाफ सूची संलग्न की जाना है।

9 फर्नीचर व्यवस्था :

स्टाफ व कार्यालय फर्नीचर के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं के लिये भी कक्षाओं में फर्नीचर होना चाहिये । यह मेट/कुर्सी अथवा डेस्क/बैंच हो सकते है

10 विद्युत व्यवस्था

जिन स्थानों में बिजली है वहां की शालाओं में बिजली व पंखों की पूर्ण.व्यवस्था होनी चाहिये ।

11 अक्षय निधि

अक्षयनिधि हेतु रूपये 30000/– तीस हजार रूपये जिला शिक्षा अधिकारी, एवं प्राचार्य के संयुक्त खाते मे जमा होना चाहिये, संस्था के खाते में शहरी क्षेत्र हेतु बचत खाते में रू. 50,000/– एवं ग्रामीण क्षेत्र में 25000/– राशि होना चाहिए। जिससे आकस्मिक स्थिति में शिक्षको को कम से कम तीन माह का वेतन किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर भुगतान कर सके

12 वित्तीय व्यवस्था :

संस्था को वित्तीय व्यवस्था के संबंध में स्पष्ट विवरण देना होगा कि उनकी संस्था में प्रति वर्ष हुए व्यय की आपूर्ति किन–किन आय स्त्रोतों से की गई है, के विवरण मदवार दिये जायें ।

13 अंग्रेजी माध्यम :–

यदि संस्था हिन्दी माध्यम के साथ अंग्रेजी माध्यम की कक्षायें भी संचालित करना चाहती है तो उसे अपनी अंग्रेजी माध्यम की शाला को अलग शाला मानते हुए उसकी मान्यता हेतु पूरी प्रक्रिया नवीन मान्यता के अनुरूप करनी होगी । उसके बाद ही अंग्रेजी माध्यम की संस्था का संचालन किया जा सकेगा ।

14 अतिरिक्त संकाय :

अतिरिक्त संकाय/विषय के लिये निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन एवं निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। अतिरिक्त संकाय हेतु विभागीय अनुमति, स्टाफ, प्रयोगशाला आदि की व्यवस्था होने पर अतिरिक्त संकाय की मान्यता जारी की जावेगी ।

15 मण्डल से मान्यता प्राप्त संस्था को विद्यालय के नाम पट पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल से मान्यता प्राप्त तथा मान्यता कोड का स्पष्ट उल्लेख किया जाना । मण्डल द्वारा जारी मान्यता प्रमाण पत्र प्राचार्य के कक्ष में अथवा कार्यालय में स्पष्ट दृष्टिगोचर स्थान पर प्रदर्शित करना होगा । इसका पालन संस्था को सुनिश्चित करना होगा ।

सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर

पृ० ांकन क्रमांक / 7230 / मान्यता / 2012–13 रायपुर दिनांक 27/12/12

प्र० लिपि

1 माननीय मंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा के निजी सचिव की ओर सूचनार्थ ।

2 प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग / प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ

3 आयुक्त / लोक शिक्षण / आयुक्त / आदिवासी विकास विभाग, की ओर सूचनार्थ

4 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी / समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास की ओर सूचनार्थ ।

5 उपसचिव / पंजीयक,, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर की ओर सूचनार्थ

6 समस्त सहायक सचिव / कक्ष अधिकारी, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर एवं संभागीय अधिकारी,, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ

7 समस्त प्राचार्य / प्राचार्या, अशासकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की ओर भेजकर सूचित किया जाता है कि छात्र / छात्राओं को मूलभूत सुविधांये उपलब्ध कराने के लिये उपरोक्तानुसार न्यूनतम मापदण्ड निर्धारित कर निर्देश जारी किये जा रहे है । कृपया सुनिश्चित करें की उपरोक्त मापदण्डों के अनुसार संस्था का संचालन किया जा रहा है। ऐसा न होने पर आगामी वर्ष की मान्यता पर विचार किया जाना संभव नही हो सकेगा ।

सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर